



JALAUN POLICE

“Operation Conviction”

दिनांक 04.06.2026

"ऑपरेशन कन्विक्शन" के अन्तर्गत मॉनीटरिंग सेल जनपद जालौन व थाना आटा पुलिस द्वारा की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप अभियुक्त भूवन यादव उर्फ धरम सिंह पुत्र महेश यादव निवासी ग्राम बम्हौरी कलां थाना आटा जनपद जालौन द्वारा **एक नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी करना व मना करने पर मारपीट कर जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने** के संबन्ध में वादिनी की तहरीर के आधार पर थाना आटा पर मु0अ0सं0 136/22 धारा 452/354/323/504 भादवि व 7/8 पॉक्सो एक्ट व 3(2)5A एससी/एसटी एक्ट में पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त भूवन यादव उपरोक्त को **03 वर्ष का कारावास एवं 4,000/- रुपये के अर्थदण्ड** से दण्डित किया गया है।

पुलिस अधीक्षक जालौन के निर्देशन में मॉनीटरिंग सेल जनपद जालौन एवं थाना आटा पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी से मा0 न्यायालय पॉक्सो कोर्ट उरई जनपद जालौन द्वारा अभियुक्त 1. भूवन यादव उर्फ धरम सिंह उपरोक्त को **दोषी पाते हुए 03 वर्ष का कारावास एवं 4,000/- रुपये** के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।



अभियोजन अधिकारी
रणकेन्द्र भट्टारिया



प्र0नि0 मॉनिटरिंग सेल
श्री परमहंस तिवारी



हे0का0 सुधीर सिंह
कोर्ट मुहररि



का0 अखिलेश
कोर्ट पैरोकार